भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1598

जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

6 अग्रहायण, 1941 (शक)

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र

1598. श्री सत्यदेव पचौरी:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए 2018-2020 की अवधि के दौरान 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र' स्थापित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं घटक क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने साइबर अपराध रोकने एवं जांच में तेजी लाने हेतु साइबर अपराध के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)' की स्थापना के लिए एक योजना मंजूर की है, जिसका उद्देश्य देश में व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराध से निपटना है। इस योजना के निम्नलिखित सात घटक हैं:

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण यूनिट (टीएयू)
2. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
3. साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन यूनिट
4. राष्ट्रीय साइबर अपराध न्यायविज्ञान प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र
5. राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र
6. राष्ट्रीय साइबर अनुसंधान और नवोद्भव केंद्र
7. संयुक्त साइबर अपराध जांच दल के लिए प्लेटफॉर्म

(ख) : भारतीय संविधान के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक आदेश' राज्य के विषय हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र अपनी कानून प्रवर्तन मशीनरी के जरिए साइबर अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने और छानबीन करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। हालांकि एमएचए अपनी विभिन्न योजनाओं और परामर्शी निर्देशों के माध्यम से राज्य सरकार की पहलों का समर्थन करते हैं। सरकार ने साइबर अपराधों को रोकने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक उपाय किए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें ये भी शामिल हैं :

(i) साइबर अपराध पर जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसमें एमएचए ट्विटर हैण्डल @साइबर दोस्त, रेडियो, कैम्पेन किशोरों/विद्यार्थियों के लिए हैण्डबुक का प्रकाशन, सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के लाभ के लिए सूचना सुरक्षा उत्तम पद्धतियों के प्रकाशन के जरिए साइबर अपराधों पर संदेशों का प्रचार-प्रसार शामिल हैं।

(ii) इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए और जांच में गति लाने के लिए एमएचए ने एक्सपर्ट/ परामर्शी निर्देश, क्षमता निर्माण/कानून प्रवर्तन कार्मिकों/अभियोजक/न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, साइबर न्यायिक विज्ञान सुविधाओं आदि में सुधार के माध्यम से साइबर अपराध संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एमएचए ने एक ऑनलाइन राष्ट्रीय अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) भी शुरू किया है ताकि शिकायतकर्ताओं को सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतों को रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का अधिनियमन जिसमें प्रचलित साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रावधान हैं।

(iv) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) नामक एक कार्यक्रम के जरिए इंटरनेट का प्रयोग करते समय नीतियों का अनुपालन करने के महत्व पर प्रकाश डालता रहा है और अफ़वाहों/गलत समाचार को साझा न करने की सलाह देता रहा है। सूचना सुरक्षा जागरूकता के लिए एक समर्पित वेबसाइट http://www.infosecawareness.in स्थापित की गई है, जहां झूठी खबरों पर एक मॉड्यूल प्रदान किया गया है।

******